

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1268]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

सं. 81 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : दुग्ध पाउडर, गेहूँ, खाद्य तेल, दालों और गैर बासमती चावल के निर्यात पर भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंधों से भूटान को छूट।

का.आ. 1527(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 1.3 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भूटान को निम्नलिखित मदों को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट प्रदान करती है:

- (i) दुग्ध पाउडर
- (ii) गेहूँ
- (iii) खाद्य तेल
- (iv) दाल
- (v) गैर बासमती चावल

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

भूटान को उपरोक्त मदों के निर्यात पर बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के छूट होगी। यह पूर्व की दिनांक 05.12.2011 की अधिसूचना सं. 87 और दिनांक 05.3.2012 की अधिसूचना सं. 104 को अधिक्रमित करती है।

[फा. सं. 01/91/180/1097/एम12/निर्यात प्रकोष्ठ]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2014

No. 81 (RE –2013)/2009-2014**Subject:- Exemption to Bhutan from the application of export bans by India on export of Milk Powder, Wheat, Edible Oils, Pulses and Non-Basmati Rice.**

S.O. 1527(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, as amended from time to time, the Central Government hereby exempts export of the following items to Bhutan from any export ban:

- (i) Milk powder
- (ii) Wheat
- (iii) Edible oil
- (iv) Pulses
- (v) Non-basmati rice

2. Effect of this Notification:

Export of above items to Bhutan will be exempted from any ban and without any quantitative restrictions. This supersedes earlier Notification No. 87 of 05.12.2011 & Notification No. 104 of 05.03.2012.

[F. No. 01/91/180/1097/AM 12/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade